# FORM NO III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त उपखण्ड अधिकारी ... मुकदमा ... सैनी (आलवर)
... ... बनाम ... [illegible]
मुकदमा धारा 53, 188 ... नं ... 1/2.89/18 ... सन् ... 2018 ...

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (1) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .11.20 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। प्रार्थी जयतीराम द्वारा दिनांक 9.10.20 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC के0नं0 1477/0.19 के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा हटाये जाने का प्रस्तुत किया तथा इसी दिनांक 9.10.20 को दूसरा प्रा0पत्र 01 R10 CPC पक्षकार मुकदमा बनाये जाने बाबत पेश किया।<br>दिनांक 09.11.2020 को उभय पक्षकारान द्वारा प्रकरण में आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जाकर मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात दिनांक 11.11.2020 को वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश कर के0नं0 1477/0.19 को स्थगन आदेश से मुक्त करने का पेश किया गया। | |

# FORM NO III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

............................................ मुकाम ............................................

............................................ बनाम ............................................

............................................ नं ............................................ सन् ............

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हमने प्रार्थना पत्रों पर गौर किया। प्रार्थी इस दावे में पक्षकार बनना चाहता है तथा वाद सं० 1477/0.19 के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 13.8.2019 को आपत्त करवाना चाहता है। चूंकि अब प्रार्थी स्वयं ने ही धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर वाद सं० 1477/0.19 की स्थगन आदेश दिनांक 13.8.19 से मुक्त करने का पेश कर उक्त विषय के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहने का अनुरोध किया है | |
| परन्तु | ~~यद्यपि~~ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.8.19 मूल वाद के निर्णय तक कायम किया गया प्रभाव है इसलिए ऐसी स्थिति में उक्त अनुतोष मूल वाद के निर्णय पर ही निर्धारित करेगा मूल वाद के निर्णय से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.8.19 में हस्तक्षेप किया जाना संभव नहीं है। | |

# FORM NO III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

........................................ मुकाम ........................................

........................................ बनाम ........................................

दमा........................................ नं ........................................ सन् ........................

| रीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | (3)<br>चूंकि प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है तथा राजीनामा की अनुसार ख०नं० 1477 के बारे में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रार्थी जयतीराम को पक्षकार बनने का प्रार्थना O1 R10 CPC राजीनामा के अनुसार ही तय किया जाना न्यायोचित होगा।<br>अतः पत्रावली वास्ते गौर प्रार्थना पत्र व राजीनामा दिनांक 23-11-20 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |

Scanned with CamScanner